कार्यालय जिला कलक्टर झालावाड़

क्रमांक / राजस्व / 2021 / 1090 दिनांक 30/06/2021

माननीय न्यायालय
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
सैन्ट्रल जोन बैंच भोपाल (म0प्र0)

विषय :– प्रा0पत्र नं0 22/2021 (सीजेड) उनवान शैलेन्द्र जैन बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 27.05.2021 को पारित आदेश की अनुपालना में संयुक्त मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रा0पत्र नं0 22/2021 (सीजेड) उनवान शैलेन्द्र जैन बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 27.05.2021 को पारित आदेश की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी एवं क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कोटा से संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार कराई जाकर संलग्न पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है। उपरोक्त प्रकरण में जिला कलक्टर रेस्पोडेन्ट नं0 1 की और से उपखण्ड मजिस्ट्रेट झालावाड़, श्री मुहम्मद जुनेद पीपी मो0नं0 9964688100 ई–मेल आई0डी0 sdojhalawar@gmail.com को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय

जिला कलक्टर
झालावाड़

माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसींपल बैंच नई दिल्ली से प्राप्त प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021 उनवान शैलेन्द्र जैन बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 27.05.2021 को पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त मौका रिपोर्ट

---00---

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश संख्या 489–491/विधि/2021 दिनांक 09.06.2021 द्वारा गठित समिति द्वारा माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिसींपल बैंच नई दिल्ली से प्राप्त प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021 उनवान शैलेन्द्र जैन बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 27.05.2021 को पारित आदेश के बिन्दु संख्या 8 व 9 के अनुक्रम में उपखण्ड अधिकारी झालावाड़, क्षैत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कोटा, तहसीलदार झालरापाटन व आयुक्त नगर परिषद झालावाड़ के साथ दिनांक 15.06.2021 को संयुक्त रुप से मौका निरीक्षण किया गया। राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार तथ्यात्मक प्रतिवेदन निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

1. यह है कि ग्राम झालावाड़, पटवार हल्का झालावाड़, भू–अभिलेख निरीक्षक झालावाड़ तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान की अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से की खाता संख्या नया 485 पुराना 425 के खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.2150 हैक्टेयर किस्म पेटा, खसरा नम्बर 1533 रकबा 0.1897 हैक्टेयर किस्म पेटा एवं खसरा नम्बर 1536 रकबा 0.5311 हैक्टेयर किस्म पेटा खातेदार गायत्री मित्तल पत्नी राजिव मित्तल हिस्सा 1/3, जाति महाजन सा0 झालावाड़ खातेदार, देवेश खण्डेलवाल पुत्र जगदीश खण्डेलवाल हिस्सा 1/6 जाति महाजन, सा. झालावाड़ खातेदार, मंजू मित्तल पत्नी दिलीप कुमार हिस्सा 1/6 जाति महाजन सा. झालावाड़ खातेदार, शफिया पत्नि शाकिर चौधरी हिस्सा 1/6 जाति मुसलमान सा. कुंजड़ा गली बड़ा बाजार झालावाड़ खातेदार एवं संजय शुक्ला पुत्र दिनानन्द हिस्सा 1/6 जाति ब्राहम्ण सा. झालावाड़ खातेदार दर्ज रेकार्ड है। उक्त सहखातेदार जिनका संबंध रेस्पोडेन्ट नंबर 2, 3, 4, 5 व 6 से है। जमाबन्दी की प्रतिलिपि संलग्न है।

   उपरोक्त प्रश्नगत आराजी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार झालरापाटन मिसल बंदोबस्त के आलौच्य आराजीयात सेटलमेन्ट जमाबंदी सम्वत 2030–2049 बीदा वल्द सीताराम जाति कुम्हार साकिन देह के खातेदारी में दर्ज है। जिसमें उक्त तीनो खसरा नम्बर की आराजीयात की किस्म भी पेटा ही दर्ज है। उक्त खातेदार श्री बीदा पुत्र सीताराम जाति कुम्हार से वर्तमान खातेदारान के खाते में निम्नानुसार हस्तान्तरित होकर दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरणकरण संख्या 1592 दिनांक 24.08.2020 से वरुण राहुल पुत्र कमल वगैरहा समस्त सहखातेदार सिवाय विनय पुत्र नारायण को छोडकर 1/3

हिस्सा रेस्पोडेन्ट नंबर 2, 3, 4, व 6 सभी के 1/6–1/6 का नामान्तरणकरण दर्ज हुआ है। इसी प्रकार नामान्तरणकरण संख्या 1598 दिनांक 23.09.2020 विनय कुमार पुत्र नारायणलाल महाजन 1/3 हिस्सा, गायत्री मित्तल पत्नी राजीव मित्तल 1/6 द्वारा रेस्पोडेंन्ट नंबर 4 व 5 का क्रमशः 1/3 व 1/6 हिस्सा हस्तान्तरित हुआ तथा शेष बदस्तूर रहा। वर्तमान में उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 1532, 1533 व 1536 मे मौके पर आवासीय योजना की प्लानिंग की हुई है तथा भूमि में ग्रेवल डालकर रोड़ बनाये गये है और मुड़्डियां गाढ़कर प्लानिंग की गई है। इस प्रकार उक्त प्रश्नगत पेटा भूमि में बिना संपरिवर्तन कराये खातेदारों ने अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग किया है। जिसके संबंध में तहसीलदार झालरापाटन को रुपान्तरण आवेदन नही करने पर भूमि को राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

2. बिन्दु संख्या 1 में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा मौका निरीक्षण एवं वस्तुस्थिति अनुसार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत है कि रेस्पोडेंट संख्या 2, 3, 4, 5 एवं 6 जो प्रश्नगत आराजी के रेकार्डेड सहखातेदारान है तथा भूमि की किस्म पेटा की जद मे आती है। जिसका प्रयोग अकृषि प्रयोजन हेतु किया गया है। इसी क्रम में तहसीलदार झालरापाटन को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की 90ए की कार्यवाही करने एवं आयुक्त नगर परिषद झालावाड़ को बिना रुपान्तरण के अकृषिक उपयोग में लेने पर निर्माण व आगे कार्यवाही पर रोक लगाने के निर्देश दिये गये है। निरीक्षण के दौरान उक्त भूमि एवं तालाब के आस–पास किसी प्रकार के उद्योग का स्थापित होना नही पाया गया एवं किसी प्रकार के प्रदूषित जल का निष्त्रावन नही देखा गया। तथापि उक्त भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनने से घरेलू ठोस कचरा आदि से तालाब में प्रदूषण होने की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। मौके पर की गई आवासीय योजना के फोटोग्राफ संलग्न है। जिला नगर नियोजक झालावाड़ की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि का भू–उपयोग झालावाड़ नगरीय क्षैत्र के प्रस्तावित भू–उपयोग–2031 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शित है।
3. प्रश्नगत आराजी की पूर्व/वर्तमान किस्म पेटा है, जिसका खातेदारो द्वारा कृषि कार्य नही किया जाकर आवासीय प्लानिंग कर ग्रेवल रोड़ बनाये है तथा मौके पर भूमि में मुड़्डियां गाढ़ दी गई है। आयुक्त नगरपरिषद झालावाड ने भी अपने पत्र संख्या 1331 दिनांक 16.06.2021 से अवगत कराया हे कि खसरा नंबर 1532, 1533 एवं 1536 की भूमि पर प्लानिंग की हुई है, नगरपरिषद में कोई भी रुपान्तरण पत्रावली नही लगी हुई है।

4. उपरोक्त तीनो बिन्दुओं के क्रम में प्रश्नगत आराजी के खातेदारान द्वारा पेटा कास्त की जमीन को जिस तरह से अकृषि उपयोग में लाया जा रहा है, उस पर बिना रुपान्तरण निर्माण नही करने देने बाबत आयुक्त नगर परिषद झालावाड़ एवं बिना रुपान्तरण के अकृषि प्रयोजन उपयोग में लेने पर भूमि को राजकीय खाते में दर्ज करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने के निर्देश तहसीलदार झालरापाटन को दिये गये है।

अतः संयुक्त मौका रिपोर्ट प्रस्तुत है।

क्षैत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड